रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-'72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 503] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20, 1975/अग्रहायण 29, 1897

No. 503] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20, 1975/AGRAHAYANA 29, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December 1975

S.O. 721(E)/Ess. Comm/Iron & Steel.—In exercise of the powers conferred by Clause 17B of the Iron and Steel (Control) Order, 1956, the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Heavy Engineering No. S.O. 1567/ESS/COMM/IRON & STEEL dated the 7th April, 1971:—

In the said notification, in clause 2,—

(1) in sub-clause (a), under the heading "Functions", in paragraph (13), after item (xi), the following items shall be inserted, namely:—

"(xii) Plates including Coils.

(xiii) Forging Quality Steels of all categories.";

(2) for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

(b) Steel Priority Committee.

Composition

The Committee shall consist of—

Chairman:

(i) Secretary, Department of Steel.

Members:

(ii) Chairman, Railway Board.
(iii) Secretary, Department of Heavy Industry.
(iv) Secretary, Planning Commission.
(v) Secretary, Department of Economic Affairs.
(vi) Secretary, Department of Export Production.
(vii) Secretary, Technical Development.
(viii) Secretary, Department of Defence Production.
(ix) Secretary, Department of Power.
(x) Secretary, Department of Irrigation.
(xi) Development Commissioner, Small Scale Industries.
(xii) Director (Commercial), Steel Authority of India Limited.
(xiii) Managing Director SAIL International Limited.
(xiv) General Manager, Bhilai Steel Plant.
(xv) General Manager, Rourkela Steel Plan.
(xvi) General Manager, Durgapur Steel Plant.
(xvii) Managing Director, Bokaro Steel Limited.
(xviii) Managing Director, Tata Iron and Steel Company Limited.
(xix) Administrator, Indian Iron and Steel Company Limited.
(xx) Joint Secretary, Department of Steel.

Member-Secretary:

(xxi) Iron and Steel Controller, Calcutta.

Functions

(1) The Chairman of the Steel Priority Committee (herein-after referred to as the Committee) may invite or co-opt any other Secretary to the Government of India or Head of Department to attend any meeting of the Committee.

(2) The Committee shall meet once at least in three months and review—

(a) the Production of Iron and Steel; and

(b) matters relating to distribution and sale of Iron and Steel; and take suitable decisions relating thereto.

(3) The Committee shall at its meetings review the implementation of its decisions taken in earlier meetings, and shall also generally review the overall position of availability of Iron and Steel including import and export and supply thereof, particularly to the priority sectors of the economy.

(4) The Committee shall, from time to time, review the working of the Joint Plant Committee.

2. Nothing herein contained shall affect decisions, orders, and allocations made by the Steel Priority Committee before the date of this notification with regard to—

(i) Plates including Coils;

(ii) Forging Quality Steels of all categories.

[No. SC(I)-1(13)/75]

V. K. DAR, Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1975

का० आ० 721 (अ)/आवश्यक वस्तु लोहा और इस्पात.—केन्द्रीय सरकार, लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के खंड 17 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1567/आवश्यक वस्तु/लोहा और इस्पात, तारीख 7 अप्रैल, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में, खंड 2 में,—

(1) उपखंड (क) में,—कृत्य—शीर्षक के नीचे, पैरा (13) में, मद (11) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(12) प्लेटें जिनके अन्तर्गत कापेल भी हैं ।

(13) सभी प्रवर्गों के फोर्जिंग क्वालिटी इस्पात ।"

(2) उपखंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

(ख) इस्पात पूर्विकता समिति

संरचना

समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

अध्यक्ष :

(1) सचिव, इस्पात विभाग ।

सदस्य :

(2) अध्यक्ष, रेल बोर्ड ।

(3) सचिव, भारी उद्योग विभाग ।

(4) सचिव, योजना आयोग ।

(5) सचिव, वित्तीय कार्य विभाग ।

(6) सचिव, निर्यात उत्पादन विभाग ।

(7) सचिव, तकनीकी विकास ।

(8) सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग ।

(9) सचिव, विद्युत विभाग ।

(10) सचिव, सिंचाई विभाग ।

(11) विकास आयुक्त, लघु उद्योग ।

(12) निदेशक (वाणिज्यिक), स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ।

(13) प्रबंध निदेशक, सेल इंटरनेशनल लि० ।

(14) महाप्रबंधक, भिलाई इस्पात संयंत्र ।

(15) महाप्रबंधक, राउरकेला इस्पात संयंत्र ।

(16) महाप्रबंधक, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ।

(17) प्रबंध निदेशक, बोकारो स्टील लिमिटेड ।

(18) प्रबंध निदेशक, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि० ।

(19) प्रशासक, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ।

(20) संयुक्त सचिव, इस्पात विभाग ।

सदस्य सचिव :

(21) लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता ।

कृत्य

(1) इस्पात पूर्विकता समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का अध्यक्ष भारत सरकार के किसी अन्य सचिव या विभागाध्यक्ष को समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित या सहयोजित कर सकेगा ।

(2) समिति की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार होगी और वह—

(क) लोहा और इस्पात के उत्पादन का, और

(ख) लोहा और इस्पात के वितरण और विक्रय से सम्बन्धित विषयों का, पुनर्विलोकन करेगी ; और उसके सम्बन्ध में समुचित विनिश्चय करेगी ।

(3) समिति अपनी बैठकों में, अपने उन विनिश्चयों के, जो पूर्वत्तर बैठकों में किए गए हों, कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगी और साधारणतः लोहा और इस्पात की, जिसके अन्तर्गत उसका आयात और निर्यात तथा पूर्ति आते हैं, विशिष्टतया अर्थव्यवस्था के पूर्विकता वाले सेक्टरों को, उपलब्धता सम्बन्धी स्थिति का पुनर्विलोकन भी करेगी ।

(4) समिति समय समय पर संयुक्त संयंत्र समिति के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करेगी ।

2. इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, इस्पात पूर्विकता समिति द्वारा इस अधिसूचना का तारीख के पूर्व, निम्नलिखित के बारे में किए गए विनिश्चयों, आदेशों और आवंटनों पर प्रभाव नहीं डालेगी :—

(1) प्लेटें जिनके अन्तर्गत कारएल भी हैं ;

(2) सभी प्रवर्गों के फोर्जिंग क्वालिटी इस्पात ।

[सं० एस० सी० (1)-1(13)/75]

बी० के० दर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1975